अज अदालत सहायक कलक्टर, भरतपुर मुकाम भरतपुर

ओमप्रकाश बनाम गंगाधर वगै0

किस्म मुकदमा.....212 आर.टी.ए. नम्बर..87 /2015..........सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26—10—2015	प्रार्थी ने मय वकील उपस्थित होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत पेश किया । प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में संवत 2071—2074 की जमावंदी की नकल एवं शपथ पत्र पेश किया है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में कयास आता है। अतः आदेश है कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अम्र की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वाके ग्राम धौरमुई तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1608 / 0.30,1620 / 0.15,1621 / 0.17,1622 / 0.12 की दिनांक 23—11—2015 तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें , से पावंद किया जाता है । यदि इस आज्ञा बावत कोई उज्र हो तो दिनांक 23—11—2015 को अदालत हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. से की जाकर दिनांक 23—11—.2015 को पेश हो। सहायक कलक्टर भरतपुर	
25/6/16	पत्रावली लोक अदालत कैम्प बिलोठी में पेश हुई। मूल दावा प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी की मूल दावा अंतिम डिक्री किये जाने तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तकमील दा.द. हो। सदस्य लोक अदालत उपखण्ड, भरतपुर अध्यक्ष लोक अदालत सहायक कलक्टर भरतपुर	